

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

क्रमांक 902/77/आउशि/अनु.ब./21

भोपाल दिनांक 9/7/2021

प्रति,

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम 06 के अनुसार)
2. प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम 02 के अनुसार)

विषय :- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 62 से 65 वर्ष की अवधि में किये कार्य की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22

संदर्भ :- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-23/2019/38-3 दिनांक 26.02.2020

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में अर्धवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष करने के फलस्वरूप इस अवधि की दी गई जानकारी के आधार पर सेगमेंट कोड अनुसार आवंटन राशि स्वीकृत की जाती है।

स. क.	महाविद्यालय का नाम/अधिकारी का नाम	62 से 65 वर्ष की अवधि के मांग पत्र अनुसार वेतन संबंधी राशि	पेंशन प्राप्त राशि	शुद्ध देय राशि	अग्रणी महाविद्यालय एवं डी.डी. ओ. कोड
1	2	3	4	5	6
1.	कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पाण्डुरना, छिंदवाडा (1) डॉ.एम.एस.अनवर	32,56,638	—	32,56,638	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय छिंदवाडा 0703802001
2.	कुसुमबाई जैन कन्या महाविद्यालय भिण्ड (1) डॉ. श्यामसनेहीलाल शर्मा (2) डॉ. आशा शर्मा	42,63,548 26,40,012	6,22,547 —	36,41,001 26,40,012	शासकीय एम.जे.एस. अग्रणी महाविद्यालय भिण्ड 0403802001
			सकल योग:-	95,37,651	

(रूपये पिंचानवे लाख सैंतीस हजार छः सौ इक्यावन)

निरंतर.....

//2//

उपरोक्त आवंटित राशि का आहरण अग्रणी महाविद्यालय क समक्ष अंकित सेगमेंट कोड अंतर्गत निम्नमलिखित बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से विकलनीय होगा :-

सेगमेंट कोड	बजट शीर्ष
0101	044-2202-03-104-0101-3444-V-42-002

1. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन भत्तों के एरियर्स के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश है। पूर्व वर्षों में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावे।
3. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे।
4. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य/संस्था की होगी।
5. उक्त आवंटन राशि में से संबंधित अधिकारी को देय राशि का मिलान उनको प्राप्त पेंशन का संबंधित बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर उससे मिलान करने के पश्चात ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक /77/आउशि/अनु.ब./21
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक / /2021

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च, शिक्षा मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ. (आई.टी.सेल), उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
8. वि.क.अ. न्यायालयीन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा भोपाल।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश